न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री रविशंकर सैन उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री रमेश चन्द सैन
   एफबीओ मैसर्सः—लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड, लालसोट निवासी नेहरू कॉलोनी, लालसोट जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.03.2020 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्सः— लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड लालसोट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रविशंकर सैन पुत्र श्री रमेश चन्द सैन निवासी नेहरू कॉलोनी लालसोट उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 12 किलोग्राम बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) दो लोहे की ट्रे में आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। जिसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से 2 किलोग्राम बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 320 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) को चार साफ सूखी खाली बोतलो में बराबर—बराबर डालकर फार्मलिन की 40—40 बून्दे डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर लेबलो को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2383 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ(विक्रेता) एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नम्बर 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 5.3.2020 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषकर राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.3.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.3.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./235/एक्ट/2020/305 दिनांक 11.05.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./235/एक्ट/2020/305 दिनांक 11.05.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) के नमूने की जांच में बी. आर. रीडिंग 46.5 आई है, जो कि नियमानुसार 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिये थी। बी. आर. रीडिंग ज्यादा आने के कारण खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./235/एक्ट/2020/305 दिनांक 11.05.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) का नमूना बी. आर. रीडिंग ज्यादा आने के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई(मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री रविशंकर सैन पुत्र श्री रमेश चन्द सैन एफबीओ मैसर्सः–लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड, लालसोट निवासी नेहरू कॉलोनी, लालसोट जिला दौसा पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः– .07.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. रविशंकर सैन उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री रमेश चन्द सैन
   एफबीओ मैसर्सः–लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड, लालसोट निवासी नेहरू कॉलोनी, लालसोट जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा